



उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर
आदेश हेतु सुरक्षित दिनांक 22-06-2021
पारित आदेश दिनांक 13-07-2021
डब्ल्यू.पी.227 नंबर 274/2013

- पोखान देवांगन आ. शंकरलाल देवांगन उम्र लगभग 53 साल निवासी सलिहापारा भानुप्रतापपुर थाना व तहसील भानुप्रतापपुर जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

.....आवेदक

//विरुद्ध //

1. छत्तीसगढ़ राज्य, जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से। उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़
2. वन संरक्षक एवं अपीलीय प्राधिकारी, कांकेर वृत्त, कांकेर, जिला-कांकेर, छत्तीसगढ़
3. विहित अधिकारी एवं उप वनमंडलाधिकारी, कोरर, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला- कांकेर, जिला- कांकेर, छत्तीसगढ़
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी कोरार, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला- कांकेर, जिला- कांकेर, छत्तीसगढ़

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए – श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता।

राज्य/प्रतिवादियों के लिए– श्रीमती हमीदा सिद्दीकी, उप महाधिवक्ता।



माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत

सीएवी आदेश

13-07-2021

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत यह याचिका अपर सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) की अदालत द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 23/2010 में पारित आदेश दिनांक 12-02-2013 को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए लाई गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया था और जब्ती के तहत संपत्ति को जब्त करने के आदेश को बरकरार रखा गया था।
2. प्रवेश पर सुनवाई के चरण में इस न्यायालय ने दिनांक 03-07-2014 को आदेश पारित किया। उस आदेश का ऑपरेटिव भाग पैराग्राफ 6 और 7 है, जो इस प्रकार हैं:-

“6. इस प्रकार सुखम बाई (सुप्रा) {डब्ल्यूपी संख्या 3369/2005 (सुखम बाई बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य) 24 मार्च, 2014 को तय} के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण और लाला उर्फ उमा कांत (सुप्रा) {लाला उर्फ उमा कांत श्रीवास्तव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2010 (1) सीजीबीसीएलजे (एचसी) 307} के मामले में एक समन्वय पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में विरोधाभास है।



इसलिए, इन कार्यवाहियों को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए संदर्भित करना उचित समझा जाता है, साथ ही निम्नलिखित कानूनी प्रश्न पर दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने की सिफारिश की जाती है:

"क्या भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52(3) के तहत प्राधिकृत अधिकारी को दी गई जब्ती की शक्ति अधिनियम की धारा 55 में निहित प्रावधान के मद्देनजर वन अपराध करने के लिए अपराधियों की सजा के अधीन है और वाहन और अन्य वस्तुओं की जब्ती के लिए, वन अपराध करने के लिए अपराधी की सजा अनिवार्य है?"

7. तदनुसार, रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह मामले को उचित आदेश हेतु माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करें।"

3. मामला डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। खण्डपीठ ने दिनांक 31-07-2017 के आदेश द्वारा सन्दर्भ का उत्तर इस प्रकार दिया है।

"2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम श्रीमती कल्लो बाई (एआईआर 2017 एससीसी 2516) में दिए गए निर्णय के मद्देनजर उपरोक्त प्रश्न अब प्रासंगिक नहीं रह गया है, जो मध्य प्रदेश राज्य से आया था। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब्ती की शक्ति वन अपराधों के लिए अभियोजन की किसी भी कार्यवाही से स्वतंत्र है।



3. ऐसी परिस्थितियों में, हम इस संदर्भ का उत्तर यह मानकर देते हैं कि श्रीमती कल्लो बाई (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून इस क्षेत्र को नियंत्रित करता है और यह इस मामले में डिवीजन बेंच को किए गए संदर्भ के माध्यम से उठाए गए प्रश्न का उत्तर भी देता है। संदर्भ को तदनुसार आदेशित किया जाता है।”

4. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता टेम्पो ट्रैक्स नंबर सीजी 19 टी/0243 का पंजीकृत मालिक है। यह वाहन हेड कांस्टेबल ने याचिकाकर्ता से किराये पर लिया था। इस वाहन को वन विभाग ने सागौन और अन्य लकड़ी के अवैध परिवहन के मामले में जब्त किया था धारा 5(1)(x), 15(1)(2) के तहत अपराध के लिए पीओआर संख्या 3804/2011 में जंगल से एवं 16-11-2009 को छत्तीसगढ़ वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम के 16. निर्धारित प्राधिकारी/डीएफओ ने भारतीय वन अधिनियम के प्रावधान के तहत जब्त वाहन को जब्त करने की कार्रवाई की और राज्य सरकार के पक्ष में वाहन को जब्त करने का आदेश दिनांक 08-03-2010 को पारित किया गया। इस आदेश को वन संरक्षक/अपीलीय प्राधिकारी कांकेर वृत्त के समक्ष अपील में चुनौती दी गई। अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 03-04-2010 के आदेश द्वारा अपील खारिज कर दी। अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बस्तर की अदालत के समक्ष



पुनरीक्षण में चुनौती दी गई थी और उसे आदेश दिनांक 12-02-2013 (अनुलग्नक- पी/3) द्वारा खारिज कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सागौन और अन्य लकड़ी का परिवहन उसके वाहन का उपयोग करके किया जाना था। विहित प्राधिकारी के समक्ष जांच में यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है, लेकिन उस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया। इसलिए, ऐसा कोई तथ्य मौजूद नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा जो वन अपराध किया गया था वह इस याचिकाकर्ता की जानकारी और मिलीभगत से था। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष के परिणामस्वरूप आरोपी को बरी कर दिया गया है।

के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया है-सुखदेव सिंह बच्चू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य, 2011 (1) सी.जी.एल.आर.डब्ल्यू. 466 और रामलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2003 (4) एमपीएचटी 354 के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णयों पर, मधुकर राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, 2000 (2) एमपीएचटी 445 और मध्य प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद जब्बार खान, 2002 (3) एमपीएचटी 465.



यह प्रस्तुत किया गया है कि यह स्पष्ट रूप से माना जाता है कि जब इस बात का सबूत है कि वाहन का उपयोग वाहन मालिक की जानकारी और मिलीभगत के बिना किया गया है, तो उस स्थिति में, याचिकाकर्ता जब्त किए गए वाहन की हिरासत का हकदार है। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि आक्षेपित आदेश गंभीर दुर्बलता से ग्रस्त हैं जिन्हें रद्द किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थना की जाती है कि याचिका स्वीकार की जाए और याचिकाकर्ता को राहत दी जाए।

5. सभी उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान राज्य वकील ने याचिका और याचिकाकर्ता के वकील की प्रस्तुति का विरोध किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि नीचे तीन प्राधिकारियों की स्पष्ट और समवर्ती खोज है। 2005 की रिट याचिका संख्या 3369 (सुखम बाई बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) में 24-03-2014 को निर्णय दिया गया और डब्ल्यू.पी. 1997 का क्रमांक 4298 {मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़) बनाम। कृष्णा कनिवापैडी और अन्य} ने 28-06-2012 को निर्णय लिया, यह माना गया है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी और नीचे के अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए तथ्य की खोज को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अभ्यास में आमतौर पर रद्द नहीं किया जा सकता है जब तक कि खोज पूरी तरह से विकृत न हो और गवाहों के बयान को पूरी तरह से गलत तरीके से पढ़कर या कानून के स्थापित प्रावधानों की अनदेखी करके बनाई गई हो। इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद



227 के तहत इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है। इसलिए याचिका में की गई प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता. इसलिए याचिका खारिज की जाए।

6. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
7. प्रस्तुतियों पर विचार किया गया। विहित प्राधिकारी/डीएफओ द्वारा पारित जप्ती आदेश दिनांक 08-03-2010 का अवलोकन करने पर यह पाया गया है बागान प्रभारी शिव कुमार पांडे की जिरह में बताया गया कि सिपाही भूपेन्द्र प्रधान कागजात दिखाने के लिए उपस्थित हुआ। गवाह खेदूराम साहू, नारदराम पिस्दा, विश्राम सिंह उइके और टीकमराम के बयान में आरक्षक भूपेन्द्र प्रधान के बारे में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। गवाह महेंद्र सिंह चौहान ने ड्राइवर, हेल्पर और वाहन के मालिक यानी याचिकाकर्ता की उपस्थिति के बारे में बताया है। उन्होंने कांस्टेबल भूपेन्द्र प्रधान की मौजूदगी का भी जिक्र किया है. गवाह आर.के. सिंह, वन रेंजर और वन कर्मचारी अखंड प्रताप ने उन परिस्थितियों के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया है जिनमें सागौन और अन्य लकड़ी का परिवहन किया जा रहा था।

याचिकाकर्ता ने अपने बचाव में खुद की जांच की और कहा कि उसे ड्राइवर ने बताया था कि वाहन को उसके घरेलू सामान के परिवहन के लिए कांस्टेबल भूपेन्द्र प्रधान ने किराए पर लिया था। बचाव



पक्ष के गवाह गोलूराम कोला, जो याचिकाकर्ता का कर्मचारी है, का भी यही बयान है। कार्यवाही में आरक्षक भूपेन्द्र प्रधान से भी पूछताछ की गई और उसने बताया कि उसने दुर्गकोंदल से अपना सामान ले जाने के लिए 800/- रुपये किराये पर वाहन लिया था, उसने बताया कि उसके सामान के अलावा जो घरेलू सामान, फर्नीचर था, अन्य सागौन और लकड़ी उसकी नहीं थी।

8. भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52(5) इस प्रकार है:-

52. अधिहरणीय सम्पत्ति का अभिग्रहण -

(5) उपधारा (3) के अधीन किसी औजार, वाहन, नाव, रस्सियां, जंजीर या किसी अन्य वस्तु (जब्त की गई लकड़ी या वन उपज से भिन्न) की अधिहरण का कोई आदेश नहीं किया जाएगा, यदि उपधारा (4) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि ऐसे किसी औजार, वाहन, नाव, रस्सियां, जंजीर या अन्य वस्तु का उपयोग उसकी जानकारी या मिलीभगत के बिना या, जैसी भी स्थिति हो, उसके सेवक या अभिकर्ता की जानकारी या मिलीभगत के बिना किया गया था और वन अपराध करने के लिए पूर्वोक्त वस्तुओं के उपयोग के विरुद्ध सभी युक्तियुक्त और आवश्यक पूर्ववधानियां बरती गई थीं।”

9. इस प्रावधान में स्पष्ट निर्देश है कि औजारों, वाहनों आदि के मालिक को यह साबित करना होगा कि उनका उपयोग उसकी जानकारी और



मिलीभगत के बिना या, जैसा भी मामला हो, उसके नौकर या एजेंट की मिलीभगत के बिना किया जा रहा था। पूछताछ में सबूतों से पता चला है कि हालांकि यह तथ्य स्थापित हो गया था कि कांस्टेबल भूपेन्द्र प्रधान ने वाहन को अपने घरेलू सामान के परिवहन के लिए किराए पर लिया था, लेकिन उन्होंने सागौन की लकड़ी और अन्य लकड़ी के स्वामित्व से इनकार किया है जो वाहन में कटे हुए आकार में मौजूद थे। इसलिए, यह एक ऐसा मामला है जिसमें इन अतिरिक्त सागौन और अन्य लकड़ी का परिवहन, जो वाहन में किया जा रहा था, याचिकाकर्ता की जानकारी और मिलीभगत के बिना या इस विशेष मामले में उसके नौकरों, यानी याचिकाकर्ता के चालक और सहायक की जानकारी और मिलीभगत के बिना नहीं किया जा सकता है। इसलिए, जब्ती प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने में की गई खोज और सराहना में कोई त्रुटि नहीं है। अतः यह याचिका बिना किसी तथ्य के है, जिसे खारिज किया जाता है।

सही/-
(राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत)
न्यायाधीश



अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

